



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07072026-274229  
CG-MH-E-07072026-274229

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948

No. 434]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 03 जुलाई, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2026/307.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11(2)(ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2026 में, -
  - अध्याय-VII में, विनियम 42(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) किसी दिन स्कीम के खाते से अदा की जाने वाली रकम का समय और स्कीम के खाते में आने वाली रकम का समय अगर कभी आगे पीछे हो जाए, तो ऐसे में उप-विनियम (1) में बताई गई कोई भी बात म्यूचुअल फंडों को उस दिन के लिए उधार लेने से नहीं रोकेगी, हालाँकि इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन तो करना ही होगा।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./203/2026-27]

**टिप्पणी :**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 (अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/294) 15 जनवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd July, 2026

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) (AMENDMENT)  
REGULATIONS, 2026**

**No.SEBI/LAD-NRO/GN/2026/307.**— In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 11(2)(c) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026, -

(I) In Chapter VII, regulation 42 (2) shall be substituted with the following, namely, -

“(2) Nothing in sub-regulation (1) shall restrict the mutual funds from intraday borrowing for addressing timing mismatch between outflows and inflows of a scheme, subject to such conditions as specified by the Board.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./203/2026-27]

**Note:**

The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026, was published in the Gazette of India on January 15, 2026 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/294.